

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 150 सन 2022

अनवान :-

1. मांगीलाल पुत्र बनारीलाल जाति स्वामी निवासी भगवानसर तहसील नोहर ।
 2. राकेश कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति स्वामी निवासी भगवानसर तहसील नोहर
- वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :- 20/4/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की वादी के नाम रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 282/279 की कुल 8.6630हैक् में से वादीगण संख्या 1 ,2 प्रत्येक 1207/173260 हिस्सा व खाता संख्या 130/121 की कुल 2.0230हैक् में वादीगण संख्या 1 ,2 प्रत्येक 7/16 हिस्सा व खाता संख्या 128/119 की कुल 9.2830हैक् वादीगण संख्या 1 ,2 प्रत्येक का 51/560 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम क्रमशः मागेलाल पुत्र बनावरीदास , राकेश पुत्र बनवारीदास तथा मांगीलाल पुत्र बनवारी व राकेश कुमार पुत्र बनवारी दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम मांगीलाल पुत्र बनवारीलाल व राकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम मांगीलाल पुत्र बनवारीलाल व राकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम मांगीलाल पुत्र बनवारीलाल व राकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर मागेलाल पुत्र बनावरीदास , राकेश पुत्र बनवारीदास तथा मांगीलाल पुत्र बनवारी व राकेश कुमार पुत्र बनवारी के स्थान पर मांगीलाल पुत्र बनवारीलाल व राकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित होकर निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के नाम रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 282/279 की कुल 8.6630हैक् में से वादीगण संख्या 1 ,2 प्रत्येक 1207/173260 हिस्सा व खाता संख्या 130/121 की कुल 2.0230हैक् में वादीगण संख्या 1 ,2 प्रत्येक 7/16 हिस्सा व खाता संख्या 128/119 की कुल 9.2830हैक् वादीगण संख्या 1 ,2 प्रत्येक का 51/560 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम क्रमशः मागेलाल पुत्र बनावरीदारा , राकेश पुत्र बनवारीदास तथा मांगीलाल पुत्र बनवारी व राकेश कुमार पुत्र बनवारी दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम मांगीलाल पुत्र बनवारीलाल व राकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल है

सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम मांगीलाल पुत्र बनवारीलाल व राकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम मांगीलाल पुत्र बनवारीलाल व राकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 282/279 की कुल 8.6630हैक में से वादीगण संख्या 1 ,2 प्रत्येक 1207/173260 हिस्सा व खाता संख्या 130/121 की कुल 2.0230हैक में वादीगण संख्या 1 ,2 प्रत्येक 7/16 हिस्सा व खाता संख्या 128/119 की कुल 9.2830हैक वादीगण संख्या 1 ,2 प्रत्येक का 51/560 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी का नाम सुखराम पुत्र पेमराम दर्ज किया गया है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय मागेलाल पुत्र बनावरीदास , राकेश पुत्र बनवारीदास तथा मांगीलाल पुत्र बनवारी व राकेश कुमार पुत्र बनवारी दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।


वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादीगण का नाम मांगीलाल पुत्र बनवारीलाल व राकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादीगण का नाम मांगीलाल पुत्र बनवारीलाल व राकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल होना प्रतित होता है तथा वादी के नाम के सम्बन्ध में साक्ष्य/शपथ पत्र के आधार पर वादी का नाम संशोधन किया जा सकता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/ /पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत /वादी के शपथ पत्र/सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक/ पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 282/279 की कुल 8.6630हैक में से वादीगण संख्या 1 ,2 प्रत्येक 1207/173260 हिस्सा व खाता संख्या 130/121 की कुल 2.0230हैक में वादीगण संख्या 1 ,2 प्रत्येक 7/16 हिस्सा व खाता संख्या 128/119 की कुल 9.2830हैक वादीगण संख्या 1 ,2 प्रत्येक का 51/560 हिस्सा भूमि में वादीगण का नाम मागेलाल पुत्र बनावरीदास , राकेश पुत्र बनवारीदास तथा मांगीलाल पुत्र बनवारी व राकेश कुमार पुत्र बनवारी अंकित है के स्थान पर मांगीलाल पुत्र बनवारीलाल व राकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीव तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. मांगीलाल पुत्र बनारीलाल जाति स्वामी निवासी भगवानसर तहसील नोहर ।
2. राकेश कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति स्वामी निवासी भगवानसर तहसील नोहर
वादीगण

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।


प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 150 सन 2022 निर्णय दिनांक- 20/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 282/279 की कुल 8.6630हैक में से वादीगण संख्या 1 ,2 प्रत्येक 1207/173260 हिस्सा व खाता संख्या 130/121 की कुल 2.0230हैक में वादीगण संख्या 1 ,2 प्रत्येक 7/16 हिस्सा व खाता संख्या 128/119 की कुल 9.2830हैक वादीगण संख्या 1 ,2 प्रत्येक का 51/560 हिस्सा भूमि में वादीगण का नाम मागेलाल पुत्र बनवारीदास , राकेश पुत्र बनवारीदास तथा मांगीलाल पुत्र बनवारी व राकेश कुमार पुत्र बनवारी अंकित है के स्थान पर मांगीलाल पुत्र बनवारीलाल व राकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल रांशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)